

- : आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 भुगानाराम के हक बंट कब्जे काश्त में मौजा ईग्यार के खेत खसरा नम्बर 191/707 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में से रकबा 0.2698 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार, खसरा नम्बर 346 रकबा 2.9785 हैक्टेयर में से रकबा 0.9928 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 444 रकबा 1.2383 हैक्टेयर में से रकबा 0.4127 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 रूघाराम के हक बंट कब्जे काश्त में मौजा ईग्यार के खेत खसरा नम्बर 191/707 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में से रकबा 0.2698 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार, खसरा नम्बर 346 रकबा 2.9785 हैक्टेयर में से रकबा 0.9928 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 444 रकबा 1.2383 हैक्टेयर में से रकबा 0.4128 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. वादी संख्या 3 मनीराम के हक बंट कब्जे काश्त में मौजा ईग्यार के खेत खसरा नम्बर 191/707 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में से रकबा 0.2698 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार, खसरा नम्बर 346 रकबा 2.9785 हैक्टेयर में से रकबा 0.9929 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 444 रकबा 1.2383 हैक्टेयर में से रकबा 0.4128 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के हक बंट कब्जे काश्त में मौजा ईग्यार का खेत खसरा नम्बर 207 रकबा 1.3355 हैक्टेयर यथावत रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
5. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्री आदेश का भाग रहेगा।
6. उक्त खसरा न के बैंक के रहन कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमरकाश तर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 9.9.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमरकाश तर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल